"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 635] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2014—— अग्रहायण 25, शक 1936

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 (अग्रहायण 25, 1936)

क्रमांक-12180/विधान/2014. —— छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -4) विधेयक, 2014 (क्रमांक 22 सन् 2014) पुर:स्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 22 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2014

वित्तीय वर्ष 2014-2015 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम. 1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए राज्य की संचित निधि में से 14,80,92,73,875 रुपयों का दिया जाना. 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए एक हजार चार सौ अस्सी करोड़ बयानवे लाख तिहत्तर हजार आठ सौ पचहत्तर रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा.	राजस्व	0	300	300
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	4,91,00,100	14,54,662	5,05,54,762
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	1,14,00,000	0	1,14,00,000
03	पुलिस	राजस्व	20,70,00,100	0	20,70,00,100
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	1,50,00,000	0	1,50,00,000
05	जेल	राजस्व	36,00,000	0	36,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	2,00,00,000	0	2,00,00,000
08	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	5,79,00,000	0	5,79,00,000
10	वन	राजस्व	2,52,00,000	0	2,52,00,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,17,00,00,000	0	1,17,00,00,000
13	कृषि	राजस्व	50,00,500	0	50,00,500
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	7,62,00,100	2,81,813	7,64,81,913
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	26,90,12,000	0	26,90,12,000
16	मछली पालन	राजस्व	2,96,51,000	0	2,96,51,000
17	सहकारिता	राजस्व	4,54,92,100	0	4,54,92,100
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	45,00,00,100	0	45,00,00,100
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	22,85,00,200	0	22,85,00,200
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	6,00,100	0	6,00,100
		पूंजी	10,00,00,200	0	10,00,00,200
23	जल संसाधन विभाग	पूंजी	15,00,00,000	0	15,00,00,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	1,00,74,70,000	0	1,00,74,70,000
		पूंजी	10,00,300	2,45,00,000	2,55,00,300
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय.	पूंजी	200	0	200
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	15,00,000	0	15,00,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	31,33,00,000	0	31,33,00,000
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	1,96,60,000	0	1,96,60,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	35,00,000	0	35,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	31,00,00,100	0	31,00,00,100
		पूंजी	52,50,00,000	0	52,50,00,000
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	49,42,000	0	49,42,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,50,00,000	0	2,50,00,000
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	2,50,00,000	0	2,50,00,000
34	समाज कल्याण	राजस्व	22,20,000	0	22,20,000
36	परिवहन	राजस्व	1,10,50,000	0	1,10,50,000
37	पर्यटन	राजस्व	3,00,00,000	0	3,00,00,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	100	0	100
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	2,55,15,80,700	0	2,55,15,80,700
		पूंजी	73,20,00,100	0	73,20,00,100
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	11,26,00,000	0	11,26,00,000
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग.	राजस्व	56,18,00,100	0	56,18,00,100
48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान.	राजस्व	2,29,00,300	0	2,29,00,300
		पूंजी	31,16,96,100	0	31,16,96,100
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	50,00,100	0	50,00,100
53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	2,20,89,000	0	2,20,89,[illegible]
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	1,36,00,000	3,01,000	1,39,01,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	1,09,96,54,500	0	1,09,96,54,500
		पूंजी	12,10,00,000	0	12,10,00,000
65	विमानन विभाग	राजस्व	1,50,00,100	0	1,50,00,100
66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण.	राजस्व	19,61,00,000	0	19,61,00,000
		पूंजी	14,00,00,000	0	14,00,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	25,00,000	0	25,00,000
		पूंजी	10,00,000	0	10,00,000
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी.	राजस्व	20,69,70,000	0	20,69,70,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	3,50,00,700	0	3,50,00,700
		पूंजी	1,50,00,200	0	1,50,00,200
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	1,68,97,64,000	0	1,68,97,64,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	89,67,80,000	4,00,00,000	93,67,80,000
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	79,67,21,000	0	79,67,21,000
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	6,80,000	0	6,80,000
	योग -	**राजस्व**	**12,64,60,39,000**	**4,20,37,775**	**12,68,80,76,775**
		पूंजी	**2,09,66,97,100**	**2,45,00,000**	**2,12,11,97,100**
	वृहद योग		**14,74,27,36,100**	**6,65,37,775**	**14,80,92,73,875**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 15 दिसम्बर, 2014

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.